

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2013/आषाढ़ 21, 1935

No. 347]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2013/ASADHA 21, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 15 फरवरी, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2013

सा. का. नि. 480 (अ) .— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खण्ड (जी) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 6/2000-आरबी) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(क) ये विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलायेंगे।

(ख) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 6/2000-आरबी) में, विनियम 3 में, उसके उप-विनियम (1) के,

- (1) खंड (ए) में, "7,500/-" अंकों को "रु.10,000/- (रु. दस हजार मात्र)" अंकों तथा शब्दों से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

- (2) खंड (सी) में, "7,500/-" अंकों को "रु.10,000/- (रु.दस हजार मात्र)" अंकों तथा शब्दों से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[सं.फेमा.258/2013-आरबी]

रुद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

मूल विनियमावली 5 मई 2000 के जी.एस.आर. सं. 389(ई) के जरिये सरकारी राजपत्र भाग II, धारा 3, उपधारा (i) में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी :

(ए) 21 मार्च 2001 के जी.एस.आर.सं. 201(ई)

(बी) 24 जुलाई 2009 के जी.एस.आर. सं. 548(ई)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th February, 2013

**Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency)
(Amendment) Regulations, 2013**

G.S.R. 480(E).— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of Section 6 and sub section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA 6/2000-RB dated May 3, 2000), namely:-

1. Short title and commencement

(a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) (Amendment) Regulations, 2013.

(b) They shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulations :

In the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA.6/2000-RB dated May 3, 2000), in regulation 3, in sub-regulation (1),

(1) in clause (a), for the figures "Rs.7,500", the figures and words "Rs.10,000 (Rupees ten thousand only)" shall be substituted;

(2) in clause (c), for the figures "Rs.7,500", the figures and words "Rs.10,000 (Rupees ten thousand only)" shall be substituted.

[No. FEMA.258/2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager

Foot Note:

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 389 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide :

(a) No. G.S.R.201 (E) dated March 21, 2001

(b) No. G.S.R.548 (E) dated July 24, 2009